

From: D.F.O. Dharamshala.

To: C.C.F. (T) Dharamshala.

Subject:- Diversion of 0.30 ha. of forest land in favour of I & PH Department for the construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, within the jurisdiction of Dharamshala Forest Division, Distt. Kangra, H.P. (Online Proposal No. FP/HP/Other/51314/2020). – Compliance Report thereof.

Memo :

Please refer to the Govt. of India, MoEF&CC Integrated Regional Office, Shimla letter No. FC/HPB/09/42/2021 dated 06/07/2022 on the subject cited above where in the "Stage I Approval" for diversion of 0.30 ha. of Forest Land has been accorded. In this regards, it is intimated that the User Agency has submitted the Compliance Report of conditions of Stage I Approval and amount of NPV and CA stands deposited in respective heads. The point wise reply of conditions of 'in-Principal' approval are as under:-

क्रमांक संख्या	सैद्धांतिक स्वीकृति कि शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वीकृति / उत्तर
1.	वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि वन भूमि की विधिक स्थिति को परिवर्तित नहीं किया जाएगा। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाए। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
3.	<b>प्रतिपूरक वनीकरण:</b> (क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 600 पौधों का पोधारोपन Compartment No. UP-93K Fogal C-2, Lapiana Forest Range, Dharamshala Forest Division, Distt. Kangra, Himachal Pradesh में किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशी @ CA rates for 600 पौधों के पोधारोपन हेतु (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाए। (ख) प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक	(क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 600 पौधों का पोधारोपन Compartment No. UP-93K Fogal C-2, Lapiana Forest Range, Dharamshala Forest Division, Distt. Kangra, Himachal Pradesh में किया जाएगा। प्रतिपूरक वनीकरण की आवश्यक धनराशी <b>Rs. 1,68,676/- &amp; Rs. 8,434/- (5% Contingency)</b> CAMPA कोष में जमा करा दी गई है। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाएगा। (ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण की लागत <b>Rs. 1,68,676/- &amp; Rs. 8,434/- (5% Contingency)</b> जमा करा दी गई है। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त जो भी प्रावधान शामिल किए जाएंगे प्रयोक्ता अभिकरण को

	अनुरक्षित एवं संधारित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	मान्य होंगे। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
4.	<p><b>शुद्ध वर्तमान मूल्य:-</b></p> <p>(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1 /1998-एफ.सी. (Pt.2). दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006, 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 एवं 5-3/2011-FC (Vol.-1) दिनांक 06.01.2022 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.30 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।</p>	<p>(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस प्रस्ताव के तहत 0.30 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य की निर्धारित राशि रूपए 3,01,563 /- Parivesh online portal के माध्यम से जमा करवा दी गयी है।</p>
	<p>(ख). विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।</p>	<p>(ख). प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, जमा की जाएगी। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।</p>
5.	माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में वर्तमान में एफ.सी.ए. के तहत भूमि के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई गई है। अतः राज्य सरकार मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा इस निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही तदनुसार अपने स्तर पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश जारी करेगी।	माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा इस निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य होगी। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
6.	The State Government shall ensure that the KML files of the area to be diverted, the CA Areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal will all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.	The KML files of the area to be diverted, the CA Areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area will be uploaded on the e-Green watch portal as soon as it is available on the portal. At present the proposal is not available / displaying on e-Green portal.
7.	The State Government shall rectify the Geographical area of Kangra District in Part-II, Para-14 before Stage-II (final) Approval.	The Geographical area of the Kangra District in Part II is correct and no action is required.
8.	The State Government shall obtain Consent to Establish (CTE) from State Pollution Control Board before undertaking any step to establish the Project and same is required to be	The copy of NOC / Consent to Establish (CTE) from the H.P. State Pollution Control Board is enclosed herewith.

	submitted in this office before Stage-II (final) Approval.	
9.	राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं की लागत पर प्रस्तावित क्षेत्र के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर जहाँ भी संभव हो, अधिक से अधिक स्थानीय प्रजाति के वृक्षों को वन विभाग की देख-रेख में रोपित कर greenery को maintain करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं की लागत पर प्रस्तावित क्षेत्र के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर जहाँ भी संभव हो, अधिक से अधिक स्थानीय प्रजाति के वृक्षों को वन विभाग की देख-रेख में रोपित कर क्षेत्र में greenery को maintain किया जाएगा। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
10.	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया गया एफआरए प्रमाण पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है। प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाएगा। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
11.	प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों का पातन शून्य होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि वन भूमि में कोई भी पेड़ों का पातन नहीं किया जाएगा। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
12.	आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
13.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh-nic.in/">https://parivesh-nic.in/</a> ) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित / जमा किए जाएंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड की निर्धारित राशि Net Present Value (NPV) <b>Rs. 3,01,563/-</b> . Compensatory Afforestation <b>Rs. 1,68,676/-</b> , Contingency @ 5% on CA <b>Rs. 8,434/-</b> Total= <b>(3,01,563 + 1,68,676 + 8,434) = 4,78,673/-</b> online portal के माध्यम से जमा करवा दी गयी है।
14.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि भविष्य में लागू होती है तो प्राप्त करेगा। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
15.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
16.	वन भूमि एवं आस - पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
17.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करवाया

		जाएगा। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
18.	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/ Backward bearing अंकित हों।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा जिस पर Forward/ Backward bearing अंकित किए जाएंगे। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
19.	परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
20.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
21.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करेगी। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
22.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर जो भी निर्धारित शर्तें लागू होंगी प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उनका पालन किया जायेगा। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
23.	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जायेगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंका जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्य कहीं मलबा नहीं फेंका जाएगा। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
24.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा ली जाएगी। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
25.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।

6. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल के माध्यम से (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी। इस संदर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बद्धता कि प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।

It is therefore, requested that the necessary Final Approval for the diversion of 0.30 ha of forest land for the construction of above mentioned project may kindly be obtained from the Govt. of India under Forest (Conservation) Act, 1980 and conveyed to this office.

Encl: As above

  
Divisional Forest Officer,  
Dharamshala Forest Division,  
Dharamshala.

To,

Divisional Forest Officer,  
Dharamshala Forest Division,  
Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.)

Subject:- Diversion of 0.30 ha. of forest land in favour of I & PH Department for the construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, within the jurisdiction of Dharamshala Forest Division, Distt. Kangra, H.P. (Online Proposal No. FP/HP/Other/51314/2020). – Compliance Report thereof.

Sir,

Please refer to the Govt. of India, MoEF&CC Integrated Regional Office, Shimla letter No. FC/HPB/09/42/2021 dated 06/07/2022 on the subject cited above where in the "Stage I Approval" for diversion of 0.30 ha. of Forest Land has been accorded. In this regards, it is intimated that the amount of NPV & CA has been deposited and reply of conditions of 'in-Principal' approval is as under:-

क्रमांक संख्या	सैद्धांतिक स्वीकृति कि शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वीकृति / उत्तर
1.	वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचन बद्धता प्रस्तुत करती है कि वन भूमि की विधिक स्थिति को परिवर्तित नहीं किया जाएगा। इस आषय में वचनबद्धता प्रस्तुत है।
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचन बद्धता प्रस्तुत करती है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाए। इस आषय में वचनबद्धता प्रस्तुत है।
3.	<p><b>प्रतिपूरक वनीकरण:</b></p> <p>(क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 600 पौधों का पोधारोपन Compartment No. UP-93K Fogal C-2, Lapiana Forest Range, Dharamshala Forest Division, Distt. Kangra, Himachal Pradesh में किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशी @ CA rates for 600 पौधों के पोधारोपन हेतु (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाए।</p> <p>(ख) प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित एवं संधारित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित</p>	<p>(क) प्रस्तावित वन भूमि के प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 600 पौधों का पोधारोपन Compartment No. UP-93K Fogal C-2, Lapiana Forest Range, Dharamshala Forest Division, Distt. Kangra, Himachal Pradesh में किया जाएगा। प्रतिपूरक वनीकरण की आवश्यक धनराशी <b>Rs. 1,68,676/- &amp; Rs. 8,434/- (5% Contingency)</b> CAMPA कोष में जमा करा दी गई है। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाएगा।</p> <p>प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण की लागत <b>Rs. 1,68,676/- &amp; Rs. 8,434/- (5% Contingency)</b> जमा करा दी गई है। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त जो भी प्रावधान शामिल किए जाएंगे प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य होंगे। इस आषय में वचनबद्धता प्रस्तुत है।</p>

	लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	
4.	<p><b>शुद्ध वर्तमान मूल्य:-</b>  <b>(क)</b> इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1 /1998-एफ.सी. (Pt.2). दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006, 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 एवं 5-3/2011-FC (Vol.-1) दिनांक 06.01.2022 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.30 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।</p> <p><b>(ख).</b> विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।</p>	<p><b>(क)</b> प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस प्रस्ताव के तहत 0.30 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य की निर्धारित राशि रूपए 3,01,563 /- Parivesh online portal के माध्यम से जमा करवा दी गयी है।</p> <p><b>(ख).</b> प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है की माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, जमा की जाएगी। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।</p>
5.	माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में वर्तमान में एफ.सी.ए. के तहत भूमि के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई गई है। अतः राज्य सरकार मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा इस निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही तदनुसार अपने स्तर पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश जारी करेगी।	माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा इस निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य होगी। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
6.	The State Government shall ensure that the KML files of the area to be diverted, the CA Areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal will all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.	The KML files of the area to be diverted, the CA Areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area will be uploaded on the e-Green watch portal as soon as it is available on the portal. At present the proposal is not available / displaying on e-Green portal.
7.	The State Government shall rectify the Geographical area of Kangra District in Part-II, Para-14 before Stage-II (final) Approval.	The Geographical area of the Kangra District in Part II is correct and no action is required.
8.	The State Government shall obtain Consent to Establish (CTE) from State Pollution Control Board before undertaking any step to establish the Project and same is required to be submitted in this office before Stage-II (final) Approval.	The copy of Consent to Establish (CTE) is enclosed herewith.

9.	राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं की लागत पर प्रस्तावित क्षेत्र के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर जहाँ भी संभव हो, अधिक से अधिक स्थानीय प्रजाति के वृक्षों को वन विभाग की देख-रेख में रोपित कर greenery को maintain करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं की लागत पर प्रस्तावित क्षेत्र के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर जहाँ भी संभव हो, अधिक से अधिक स्थानीय प्रजाति के वृक्षों को वन विभाग की देख-रेख में रोपित कर क्षेत्र में greenery को maintain किया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
10.	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया गया एफआरए प्रमाण पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है। प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
11.	प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों का पातन शून्य होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि वन भूमि में कोई भी पेड़ों का पातन नहीं किया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
12.	आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
13.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh-nic.in/">https://parivesh-nic.in/</a> ) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित / जमा किए जाएंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड की निर्धारित राशि Net Present Value (NPV) <b>Rs. 3,01,563/-</b> . Compensatory Afforestation <b>Rs. 1,68,676/-</b> , Contingency @ 5% on CA <b>Rs. 8,434/-</b> Total=( <b>3,01,563 + 1,68,676 + 8,434</b> ) = <b>4,78,673/-</b> online portal के माध्यम से जमा करवा दी गयी है।
14.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि भविष्य में लागू होती है तो प्राप्त करेगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
15.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
16.	वन भूमि एवं आस - पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
17.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करवाया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
18.	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/ Backward bearing अंकित हों।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा जिस पर Forward/ Backward bearing अंकित किए जाएंगे। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।

19.	परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
20.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
21.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करेगी। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
22.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय - समय पर जो भी निर्धारित शर्तें लागू होंगी प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उनका पालन किया जायेगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
23.	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जायेगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंका जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्य कहीं मलबा नहीं फेंका जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
24.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा ली जाएगी। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
25.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
26.	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh.nic/in/">https://parivesh.nic/in/</a> ) पर अपलोड की जाएगी।	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल के माध्यम से ( <a href="https://parivesh.nic/in/">https://parivesh.nic/in/</a> ) पर अपलोड की जाएगी। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।

This is for your kind information and further action.

DA/- As above

Your Faithfully,

  
Executive Engineer,  
Jai Shakti Vibhag,  
Dharamshala

RK  
3/1/23

**DIVERSION OF 0.30 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF SEWERAGE  
TREATMENT PLANT AT NADDI IN DHARAMSHALA, DISTRICT KANGRA, (H.P.)**

FILE NO. : FP/HP/Others/51314/2020  
DATE OF PROPOSAL :

**UNDERTAKING AS PER CLAUSE - 1**

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.3 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

I, hereby Undertake that the legal status of the forest land diverted for above mentioned Project will not be changed.

Place: Dharamshala  
Dated: 31-10-2023

  
Executive Engineer  
Jal Shakti Vibhag,  
Dharamshala

Countersigned by :-

  
Divisional Forest Officer  
Dharamshala Forest Division  
Dharamshala

**DIVERSION OF 0.30 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF SEWERAGE TREATMENT PLANT AT NADDI IN DHARAMSHALA, DISTRICT KANGRA, (H.P.)**

FILE NO. : FP/HP/Others/51314/2020  
DATE OF PROPOSAL :

**UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 2**

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

I, hereby Undertake that the possession of forest land diverted will only be taken after the Non Forest Land is transferred in the favour of I & PH Department, Himachal Pradesh.

Place: Dharamshala  
Dated: 31-10-2023

  
Executive Engineer  
Jal Shakti Vibhag,  
Dharamshala

Countersigned by :-

  
Divisional Forest Officer,  
Dharamshala Forest Division  
Dharamshala

**DIVERSION OF 0.30 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF SEWERAGE TREATMENT PLANT AT NADDI IN DHARAMSHALA, DISTRICT KANGRA, (H.P.)**

FILE NO. : FP/HP/Others/51314/2020  
DATE OF PROPOSAL :

**UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 3 (A)**

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that Compensatory Afforestation for 600 plants will be done in Compartment No. UP-93K Fogal C-2, Lapiana Forest Range, Dharamshala Forest Division, District Kangra, Himachal Pradesh. The Cost of Plantation Rs. 1,77,110/- including 5% Contingency on CA and Maintenance for 10 years has been deposited in the CAMPA Account.

Place: Dharamshala

Dated: 31-10-2023

  
Executive Engineer  
Jal Shakti Vibhag,  
Dharamshala

Countersigned by :-

  
Divisional Forest Officer  
Dharamshala Forest Division  
Dharamshala

**DIVERSION OF 0.30 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF SEWERAGE TREATMENT PLANT AT NADDI IN DHARAMSHALA, DISTRICT KANGRA, (H.P.)**

FILE NO. : FP/HP/Others/51314/2020  
DATE OF PROPOSAL :

**UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 3 (B )**

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that the additional cost of Compensatory Afforestation as demanded by the Forest Department at the time of undertaking the plantation activities in the future will be deposited in the CAMPA Account.

Place: Dharamshala  
Dated: 31-10-2023

06  
Executive Engineer  
Jal Shakti Vibhag,  
Dharamshala

Countersigned by :-

1  
Divisional Forest Officer  
Dharamshala Forest Division  
Dharamshala

**DIVERSION OF 0.30 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF SEWERAGE TREATMENT PLANT AT NADDI IN DHARAMSHALA, DISTRICT KANGRA, (H.P.)**

FILE NO. : FP/HP/Others/51314/2020  
DATE OF PROPOSAL :

**UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 4 (A)**

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

It is hereby submitted that Cost of NPV Rs. 3,01,563/- has been deposited in the CAMPA Account through online e-Chalan.

Place: Dharamshala  
Dated: 31-10-2023

*Os*  
Executive Engineer  
Jal Shakti Vibhag,  
Dharamshala

Countersigned by :-

Divisional Forest Officer  
Dharamshala Forest Division  
Dharamshala  
Divisional Forest Officer  
Dharamshala  
Dharamshala

**DIVERSION OF 0.30 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF SEWERAGE TREATMENT PLANT AT NADDI IN DHARAMSHALA, DISTRICT KANGRA, (H.P.)**

FILE NO. : FP/HP/Others/51314/2020  
DATE OF PROPOSAL :

**UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 4 (B)**

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

It is hereby submitted that the cost of Additional amount of NPV, if so determined as per decision of the Hon'ble Supreme Court of India will be deposited in the CAMPA Account.

Place: Dharamshala  
Dated: 31-10-2023

  
Executive Engineer  
Jal Shakti Vibhag,  
Dharamshala

Countersigned by :-

  
Divisional Forest Officer  
Dharamshala Forest Division  
Dharamshala  
Dharamshala

**DIVERSION OF 0.30 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF SEWERAGE  
TREATMENT PLANT AT NADDI IN DHARAMSHALA, DISTRICT KANGRA, (H.P.)**

FILE NO. : FP/HP/Others/51314/2020  
DATE OF PROPOSAL :

**UNDERTAKING AS PER CLAUSE - 5**

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

**It is hereby submitted that the diversion of forest land will be acceptable only after the permission of the Hon'ble Supreme Court of India.**

Place: Dharamshala  
Dated: 31-10-2023

  
Executive Engineer  
Jal Shakti Vibhag,  
Dharamshala

Countersigned by :-

  
Divisional Forest Officer  
Dharamshala Forest Division  
Forest Division  
Dharamshala

**DIVERSION OF 0.30 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF SEWERAGE TREATMENT PLANT AT NADDI IN DHARAMSHALA, DISTRICT KANGRA, (H.P.)**

FILE NO. : FP/HP/Others/51314/2020

DATE OF PROPOSAL :

**UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 8**

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

It is hereby submitted that the Consent to Establish (CTE) from the H.P. State Pollution Control Board has been obtained and same is enclosed herewith.

Place: Dharamshala

Dated: 31-10-2023

  
Executive Engineer  
Jal Shakti Vibhag,  
Dharamshala

Countersigned by :-

  
Divisional Forest Officer  
Dharamshala Forest Division  
Dharamshala



H.P. STATE POLLUTION CONTROL BOARD  
"Him Parivesh Bhawan", Regional Office Dharamshala  
Near GSSS, Dari, Tehsil Dharamshala, Distt.-Kangra (H.P.), PIN 176057  
Phone No. 01892-222628

Website: <http://hppcb.nic.in>

e-mail: [pcbriassur@gmail.com](mailto:pcbriassur@gmail.com)

No: - PCB/Non Polluting (118)/RO (D/sala)/22-  
To

6030-31

Dated: 03-02-2022

The Distt. Revenue Officer,  
Kangra at Dharamshala,  
Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra. H.P.

**Sub: -** NOC for diversion of 0.3 Ha. of Forest Land in favour of J.S.V Department for the construction of Septage Treatment Plant in Sakoh( Mohal Panjlehar) at Khasra No. 1175, within the jurisdiction of Dharamshala Forest Division, District Kangra H.P..

Sir,

With reference to the letter no. 15908, dated 28/01/2022 received on date 28/01/2022 from the Executive Engineer, Jal Shakti Sub Division, Dharamshala, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra, H.P. along with the revenue record vide which they have applied to get the land as tabulated below:

Sr. No.	Mohal	Khasra No.	Measuring Area as per submitted Revenue record	Ownership
1.	Mohal Naddi, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra, H.P.	1175	00-30-00 Hect.	Govt. of, Himachal Pradesh

As per the above tabulated record provided the land is to be transferred in favour of Jal Shakti Vibhag, Govt. of H.P. for the construction of Septage Treatment Plant.. The State Pollution Control Board has no objection if the said land is transferred in favour of Jal Shakti Vibhag, Govt. of H.P. subject to the following conditions:

- (viii) Prior consent of the State Board shall be obtained before undertaking any steps to establish the project under Water Act, 1974 and/or Air Act, 1981, as the case may be.
- (ix) Transfer of land shall be governed only by the regulations and provisions prescribed by Revenue Department and this NOC alone shall not entitle the applicant to purchase/acquire land.
- (x) NOC so issued shall not confer any right on the applicant to establish the project unless the Revenue Department has actually allowed the acquisition of land.
- (xi) This NOC is subject to prior forest clearance, if any required.
- (xii) The proponent shall maintain noise level equal to or less than the standard prescribed under Env. Protection Rules, 2016 for sensitive areas near its boundary walls.
- (xiii) The project shall provide proper scientific system for the disposal of domestic effluent, kitchen waste water and Municipal Solid Waste.
- (xiv) During the plot leveling if any muck is generated, the same should be stored/stacked/back filled scientifically alongwith the provision of toe walls, as required.

Yours faithfully,

Dr. R.K. Nadda  
Sr. Environmental Engineer, HPSPCB

**Copy to:**

✓ The Executive Engineer, Jal Shakti Sub Division, Dharamshala, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra, H.P. with reference to your office letter no: 15909, dated 28/01/2022 for information please.

Dr. R.K. Nadda  
Sr. Environmental Engineer, HPSPCB

E

**DIVERSION OF 0.30 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF SEWERAGE  
TREATMENT PLANT AT NADDI IN DHARAMSHALA, DISTRICT KANGRA, (H.P.)**

FILE NO. : FP/HP/Others/51314/2020

DATE OF PROPOSAL :

**UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 9**

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that trees of local species will be planted in the vacant areas in and along the proposed area to maintain the green cover at the cost of User Agency under the supervision of Forest Department.

Place: Dharamshala

Dated: 31-10-2023

  
Executive Engineer  
Jal Shakti Vibhag,  
Dharamshala

Countersigned by :-

  
Divisional Forest Officer  
Dharamshala Forest Division  
Dharamshala

**DIVERSION OF 0.30 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF SEWERAGE  
TREATMENT PLANT AT NADDI IN DHARAMSHALA, DISTRICT KANGRA, (H.P.)**

FILE NO. : FP/HP/Others/51314/2020

DATE OF PROPOSAL :

**UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 10**

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

It is hereby submitted that the FRA Certificate in prescribed format with all annexures and copy of records of consultation and meetings of FRC and Gram Sabha of concerned village is enclosed herewith. It is further undertaken that we will abide by the conditions of the FRA, 2006 as per Certificate issued by the District Collector.

Place: Dharamshala

Dated: 31-10-2023

  
Executive Engineer  
Jal Shakti Vibhag,  
Dharamshala

Countersigned by :-

  
Divisional Forest Officer  
Dharamshala Forest Division  
Dharamshala

**Form-II**  
**(for projects other than linear projects)**  
**Office of the District Collector, Kangra at Dharamshala.**


No. 4155 /DRA Dated: 13 Oct 2023

**TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Govt. of India's letter No.11-9/98-FC(pt.) dated 3<sup>rd</sup> August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes in respect of other than linear projects, it is certified that **00-30-00** hectares in Mohal Naddi of forest land proposed to be diverted in favour Jal Shakti Vibhag, for construction of Sewage Treatment Plant, Naddi in Tehsil Dharamshala of Kangra District falls within jurisdiction of Gram Sabha Bhatalla, in Tehsil Dharamshala, Distt Kangra (Dharamshala Forest Division).

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **00-30-00** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee, Gram Sabha and Sub Divisional Level Committee and the District Level Committee are enclosed as annexures.
- (b) The proposal for such diversion (with full detail of the project and its implications, in vernacular/local) have been placed before the concerned Gram Sabha.
- (c) The Gram Sabha Bhatalla have certified that all formalities/process under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measure, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha Bhatalla is enclosed as annexure.
- (d) The discussion and decisions on such proposal had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha/ Municipal Corporation present.
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Govt. as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA (Not applicable).

  
District Collector  
Kangra at Dharamshala.

13/10/23.

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER**  
**DISTRICT KANGRA (H.P.)**

**Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights )Act (FRA), 2006.**

A meeting of the District Level Committee of Kangra District, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Dr. Nipun Jindal, I.A.S, Deputy Commissioner, Kangra on 06-10-2023 at 3.30 PM at Dharamshala in which the applications of the applicants of Gram Sabha Bhatalla claiming rights in **00-30-00 Hectares** forest area under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee, Dharamshala, were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicants were found to be in order and hence admitted :-

<u>S.No</u>	<u>Name of Applicant*</u>	<u>Name of Forest</u>	<u>Details of forest right</u>
-------------	---------------------------	-----------------------	--------------------------------

\_\_\_\_\_ No claim filed by anyone \_\_\_\_\_

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected :- (Not applicable)


<u>S.No</u>	<u>Name of Applicant*</u>	<u>Name of Forest</u>	<u>Details of forest right</u>
-------------	---------------------------	-----------------------	--------------------------------

OR

As informed by SDO (Civil) Dharamshala, no application was received from Gram Sabha Bhatalla claiming rights in **00-30-00 Hectares** forest area.

Place : Dharamshala

No : 4/58 /DRA Dated : 13 Oct 2023

  
13/10/23.  
Deputy Commissioner-cum-Chairman  
District Level Forest Rights Committee

\*Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

**Office of the Sub-Divisional Officer (C) Dharamshala District Kangra  
H.P.**

**Proceeding of the meeting of the Sub-Division Level Committee Constituted  
under schedule tribes & others traditional forest dwellers (Recognition of Right )  
Act (FRA) 2006.**


A meeting of the Sub-Division Level Committee of Dharamshala Sub- Division, Constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Shilpi Beakta (HAS), SDO (civil) Dharamshala on 21.03.2023 at 11.00 AM at Dharamshala in which the application of Assistant Engineer, J.S.V.(Sew) Sob-Division, Dharamshala, Distt. Kangra claiming rights in Dharamshala forest area under FRA, 2006, duly processed and recommended by the forest right committee Bhatalla, Tehsil Dharamshala was discussed to consider the same for recommendation of the District level committee.

After scrutiny of the document and detailed discussion, the following decisions, were taken on an application:-

Since no application, claim and objection have been received from Forest Right Committee Bhatalla, Tehsil Dharamshala from individuals or organization etc. Hence there was no application pending from any decision or recommendation till date before the Sub-Division Level Committee.

After considering the resolution dated 17-01-2023 passed by Forest Right Committee, Gram sabha and the resolution No.05 dated 6-01-2023 passed by Gram Panchayat Bhatalla, Tehsil Dharamshala the Sub-Divisional committee hereby recommend that the land measuring 0-30-00Hect. situated at Mohal Naddi Tehsil Dharamshala Distt Kangra HP should be transferred in favour of Jal Shakti Vibhag for construction of Sewage Treatment Plantl at Naddi within jurisdiction of Dharamshala forest Division Distt. Kangra. Further it is certified that no settlement claim is pending before the Sub-Division Level Committee under ST & other Traditional Forest Dwellers Act/ Rule 2006.

Place: Dharamshala  
Date: 21.03.2023.

  
SDO-(Civil)-cum-Chairman,  
Sub-Division Level Committee  
Dharamshala

**कार्यालय उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) धर्मशाला जिला कांगडा (हि.प्र.)**

महाल नड्डी मौजा घरोह तहसील धर्मशाला में Sewage Treatment Plant के निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि रक्वा 0-30-00 है0मी0 को हस्तांतरित किये जाने से सम्बन्धित मामलो मे प्रस्तावित वन भूमि की Diversion जल शक्ति विभाग के नाम करवाये जाने के सन्दर्भ मे दिनांक 24.07.2023 को उपमण्डलाधिकारी(ना0) धर्मशाला,जिला कांगडा की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी(वन अधिकारो की मान्यता) नियम, 2006 के अन्तर्गत आयोजित हुई उपखण्ड स्तर की सीमित की बैठक की कार्यवाही

महाल नड्डी मौजा घरोह तहसील धर्मशाला में Sewage Treatment Plant के निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि रक्वा 0-30-00 है0मी0 को हस्तांतरित किये जाने से सम्बन्धित मामलो मे प्रस्तावित वन भूमि की Diversion जल शक्ति विभाग के नाम करवाये जाने के सन्दर्भ मे दिनांक 24.07.2023 को उपमण्डलाधिकारी(ना0) धर्मशाला,जिला कांगडा की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी(वनअधिकारो की मान्यता) नियम, 2006 के अन्तर्गत आयोजित हुई उपखण्ड स्तर की सीमित की बैठक की उपमण्डलाधिकारी(ना0) धर्मशाला के कक्ष मे आयोजित की गई जिसमे निम्नलिखित सदस्यो ने भाग लिया -

क्रमांक	नाम	पदनाम
1	श्री गिरिराज	तहसीलदार धर्मशाला
2	श्री सुमित शर्मा	वन परिक्षेत्र अधिकारी धर्मशाला
3	श्री संदीप गुलेरिया	सहायक अभियन्ता
4	श्रीमति मंजू देवी	वी0डी0सी मैम्बर(सदस्य वन अधिकार कमेटी)
5	श्रीमति इन्दूवाला	वी0डी0सी मैम्बर(सदस्य वन अधिकार कमेटी)
6	श्री सुनील भाटिया	जेई0(IPH)

महाल नड्डी मौजा घरोह तहसील धर्मशाला में Sewage Treatment Plant at Naddi का निर्माण:-

अध्यक्ष महोदय ने सभी उपस्थित सदस्यो का स्वागत किया तथा उसके उपरान्त निम्नलिखित मदो पर चर्चा की गई:-

क्रमांक	महाल का नाम	खाता नम्बर	खतौनी नम्बर	नकल जमाँबन्दी के अनुसार खाना मल्कीयत का व्यौरा	नकल जमाँबन्दी के अनुसार खाना काशत का व्यौरा	खसरा नम्बर	रक्वा मय किस्म भूमि
1	नड्डी	95 मिन	343 मिन	सरकार हिमाचल प्रदेश	कब्जा वन विभाग बर्तन बर्तनदारान	1175/1	0-30-00 जंगल मैहफूजा गैर मैहदूदा





उपरोक्त वर्णित भूमि के बारे में संयुक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट साथ संलग्न है धर्मशाला सहित वन अधिकारी सीमित द्वारा प्रस्ताव पारित करके अनुमोदन किया गया है । इस मामले पर गहन चर्चा की गई तथा नड्डी मौजा कजलोट तहसील धर्मशाला Sewage Treatment Plant at Naddi के निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि रक्वा 0-30-00 है0मी0 को हस्तांतरित किये जाने के सन्दर्भ में कोई आपत्ति बैठक में प्रस्तुत नहीं की गई तथा यह मामला सही पाया गया है । अतः धर्मशाला वन अधिकार समिति द्वारा किये गये अनुमोदन के आधार पर उपरोक्त मामले को अनुमोदित किया जाता है।

क्रमांक	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री गिरिराज	तहसीलदार धर्मशाला	
2	श्री सुमित शर्मा	वन परिक्षेत्र अधिकारी धर्मशाला	
3	श्री संदीप गुलेरिया	सहायक अभियन्ता	
4	श्रीमति मंजू देवी	वी0डी0सी मैम्बर(सदस्य वन अधिकार कमेटी)	
5	श्रीमति इन्दूवाला	वी0डी0सी मैम्बर(सदस्य वन अधिकार कमेटी)	
6	श्री सुनील भाटिया	जेई0(IPH)	

  
 (धर्मेश रामोत्रा,(हि0प्र0से0))  
 उपमण्डलाधिकारी(नागरिक)  
 उपमण्डल धर्मशाला।

(IPM Sewage)

आज दिनांक 24.07.2023 समय 11.00 बजे पूर्वान्ह को कार्यालय उपमण्डल अधिकारी (ना0) धर्मशाला में जनजाति एवं अन्य दूसरे वन अधिकारों पर प्रभाव न पड़ने वारे संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत उपमण्डलीय स्तर कमेटी (ग्रामीण) की बैठक श्री धर्मश रामोत्रा उपमण्डलाधिकारी (ना0) धर्मशाला की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

क्रमांक	नाम	पद	सम्पर्क न.	हस्ताक्षर
1.	2.	3.	4.	5.
01	Er Sandeep Subin	Assistant Engineer	9466460485	
02	Sumit Sharma	Rangr Forest officer D/shala	7508590953	
03	Guj Raj	Tehsildar Dharamshala	7018175880	
04	Mangsi Devi	B.D.C डी.डी.सी	9816102852	Mangsi Devi
05	Jonu Bala	B.D.C	9419924369	Jonu Bala
06	RISHAV SHARMA	ASSISTANT		
6	SUNIL BHATT	J.E. J.S.V. D/S/D/A	98162 -19075	

उप-मण्डल अधिकारी (ना.)  
धर्मशाला।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा मूठला  
विनास खण्ड असराही जिला कास/51 (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 17/1/23

पृष्ठांक 204 / 352

प्रस्ताव संख्या.....

विषय JAL SHAKTI VIDYAG DHARARASMANA विभाग/संस्था को S.T.P. AT HADDI  
के निर्माण हेतु S.T.P. AT HADDI  
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.30 हेक्टेयर वन भूमि के  
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा मूठला की बैठक 'आज' दिनांक 17/1/23  
को 10:30 AM बजे स्थान HADDI  
की गई, जिसमें JAL SHAKTI VIDYAG DHARARASMANA विभाग/संस्था को S.T.P. AT HADDI  
के निर्माण हेतु 0.3000 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।  
(0.30700)

सभी ग्रामधारियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सख्त सन्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सख्त सन्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0.30 हेक्टेयर वन भूमि को S.T.P. निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा मूठला की सहमति दी जाती है।



अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता  
ग्राम सभा.....

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_  
दिनांक \_\_\_\_\_

*(Handwritten signature and date)*  
17/1/23

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति  
ग्राम सभा... म.व.व.व.  
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या..... दिनांक 17/1/23

वन अधिकार समिति ग्राम सभा म.व.व.व. की बैठक आज दिनांक 17/1/23  
को 10:30 AM बजे, स्थान NAADU में श्री/श्रीमति श्रीम. सुकेश  
की अध्यक्षता में की गई जिसमें गांव के अनुसूचित जनजाति  
और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत  
जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें जंगल क्षेत्र निर्माण द्वारा जंगल क्षेत्र  
निर्माण के लिए 0.40 हेक्टर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त  
हुए गांव वासीयों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत  
दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों  
का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र.सं.	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्योरा
1		<u>NIL</u>	

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्र.सं.	पात्र गांव वासी का नाम	दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश
1		
2	<u>NIL</u>	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान म.व.व.व. (ज.ड.डी.) अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता  
दिनांक 17/1/23 ग्राम सभा

- \* ग्रामवासी/ग्राम वासीयो के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।
- \*\* एंजैक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है



हस्ताक्षर  
दिनांक 17/1/23

102

Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा भूतल्ला  
प्रतिलिपि प्रस्ताव

परतान संख्या.....

दिनांक.....

ग्राम सभा भूतल्ला की बैठक आज दिनांक 17/11/23 को 10:30 AM  
बजे स्थान भूतल्ला में श्री/श्रीमति मानि कुमारी की अध्यक्षता  
की गई जिसमें गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत  
वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जंगल/वन  
क्षेत्र में (जिसमें J.S.V. DHARASHALA विभाग द्वारा S.T. NO. AT HADDI के निर्माण के लिए 0.4093 हेक्टेयर 0.30  
भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की  
सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के मध्य  
प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का  
दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र.सं.	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का प्रकार
1			
2		NIL	

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करने  
है।  
उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्र.सं.	* पात्र ग्राम वासी का नाम
1	
2	NIL

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।  
या  
इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन  
अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान HADDI अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता  
दिनांक 17/11/23 ग्राम सभा

- \* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।
- \*\* पंजीकृत/कार्य का नाम जिनके तहत वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जाती है।



हस्ताक्षर  
दिनांक



# कार्यवाही रजिस्टर (PROCEEDING BOOK)

( नियम 10 और 34 देखें )

ग्राम पंचायत ..... देवि लाला ..... विकास खण्ड ..... देवि लाला ..... जिला ..... कंगड़ा .....

तिथि, मास और वर्ष	उपस्थित सदस्यों का नाम	निष्पादित कार्य का विवरण	Signature of the Panches Present	पंचों के हस्ताक्षर	
१७	सोनी	पिपल/पानी का नाल	११.९१		
17	रेखा देवी	कमलेश कुमार	०२		Rekha
18	गोविन्द	गोविन्द राम	०१		Melendy
19	सुरज कुमार	गोदम राम	०१		सुरज
२०	गनोज	गोदम राम	०१		गनोज
२१	आशोक कुमार	पुष्प चन्द	०१		आशोक
२२	प्रशोतम चन्द	लालू राम	०१		Prashant
२३	मदन लाल	मार्गी राम	०६		Madan
२४	तिलक लाल	चडू राम	BSNL		Tilak
२५	आकाश	रविकुंजी अर्जुन सिंह	०२		Aakash
२६	शिव राम	लालू राम	०६		Shiv
२७	शिव-हर सिंह	पारस राम	०६		Shiv
२८	समीर	विद्या नन्द	०३		Sameer
२९	समीर	श्री समीर	०३		Sameer
३०	क्रियाल राम	गोदम राम	०२		Kriyal
३१	भोजी	आमर सिंह	०३		Boji
३२	अनिल	श्री अनिल	०३		Anil
३३	सुरज	श्री सुरज	०३		Suraj
३४	राज कुमार	अनिल चन्द	०३		Raj
३५	अनिल देवी	श्री अनिल देवी			Anil

Secretary  
Gram Panchayat Bhatalla  
Dev. Block Dharamshala  
Distt. Kangra (HP) प्रधान तथा अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर

# कार्यवाही रजिस्टर (PROCEEDING BOOK)

(नियम 10 और 34 देखें)

ग्राम पंचायत ..... भतला ..... विकास खण्ड ..... धरमशाला ..... जिला ..... कंगड़ा ..... 117

तिथि, मास और वर्ष	उपस्थित सदस्यों का नाम	निष्पादित कार्य का विवरण	Signature of the Panches Present पंचों के हस्ताक्षर
36	पुनोदर शर्मा	दिहारी लाल 09	
37	मेहनत लाल	राम लाल 09	
38	जीतल	सूर्यप्रकाश सिंह भापा 05	
40	अम्मा	विमल सिंह गुर्जर 05	
41	परमील्य बापा	दर नारायण राय 05	
42	विजय किरान	विजय लाल 03	
43	कैलाश देवी	रतन कला राम 03	
44	सुमित	विजय सिंह 05	
45	गौरव	अदन लाल 02	
46	सुरेन्द्र	जसपाल कुमार 02	
47	उज्ज्वल	मानर सिंह 02	
48	मिना देवी	विजय लाल 06	
49	कुल	विजय कुमार 03	
50	गोना थापा	पानू राम 06	
51	निर्मल्य भापा	विमल अंग भापा 05	
52	अमृति भापा	गणेश-दर सिंह भापा 05	
53	पद्मा	विमल भापा 05	
54	सुभा	राम कुमार 04	
55	सुभा	विमल भापा 04	
56	रिता	नैवेद्य अंग भापा 04	
57	आंजलि देवी	सुभा 03	
58	अरजू	सुभा 03	
59	उज्ज्वल देवी	विजय 03	
60	सुभा	विजय 03	
61	अंजलि देवी	विजय 06	

Secretary  
 Gram Panchayat Bhatala  
 Dev. Block Dharamshala  
 Distt. Kangra (HP)

# कार्यवाही रजिस्टर (PROCEEDING BOOK)

( नियम 10 और 34 देखें )

ग्राम पंचायत धरमसै विकास खण्ड धरमसै जिला कंगड़ा

तिथि, मास और वर्ष	उपस्थित सदस्यों का नाम	निष्पादित कार्य का विवरण	Signature of the Panches Present पंचों के हस्ताक्षर
62.	रमेश चन्द	रमेश राम 09	रमेश
63.	रोहित	विजय राम 03	
64.	सुनिता चापा	उमेश जी चापा 05	विजय
65.	काशना देवी	विनोद 03	विनोद
66.	भरत सिंह	रतन जी प्रताप राम	विनोद
67.	तुलसी देवी	रतन गोपी राम 05	विनोद
68.	अर्जुन	रतन गोपी राम 05	विनोद
69.	लीला चापा	भा. शिवेश चापा 05	विनोद
70.	सुनिता चापा	भा. डेविड डी.स 05	विनोद
71.	पुतली देवी	भा. बंद लाल 05	विनोद
72.	अलग चन्द	श. शैली राम 06	विनोद
73.	विनोद कुमार	श. व. देविता राम 06	विनोद
74.	प्रदीप गुंरुग	श. प्रेम बहादुर 05	विनोद
75.	शंकर	श. व. मंगल सिंह गुंरुग 05	विनोद
76.	बलदेव चापा	श. कुलमान सिंह 05	विनोद
77.	विशेश चापा	श. टेक बहादुर 05	विनोद
78.	जयकरष	श. पुनू राम 09	विनोद
79.	जीतन सिंह	श. कालू राम 07	विनोद
80.	महाजन	श. शैली लाल 06	विनोद
81.	विजय कुमार गुंरुग	श. व. प्रेम बहादुर गुंरुग 05	विनोद
82.	विशेश लाल	श. मधुशैली राम 01	विनोद

Secretary  
Gram Panchayat Dharamsai  
Dev. Block Dharamsai  
Dist. Kangra (HP)

# कायवाहा राजस्तर (PROCEEDING BOOK)

(नियम 10 और 34 देखें)

ग्राम पंचायत धरमपुरा विकास खण्ड धरमपुरा जिला 118

तिथि, मास और वर्ष	उपस्थित सदस्यों का नाम	निष्पादित कार्य का विवरण	Signature of the Panches Present पंचों के हस्ताक्षर	
83.	निन्दू राम	शुनी लाल	01	
84.	जानिल	लक्ष्मी राम	03	
85.	राज-कर कुमार	रघुबीर चन्दा	09	
86.	बुध्नी	श. रानी शम्भू	01	
87.	जुरेकर	बेना मोहन गोपा	05	
88.	पिंदू	श. ल. मन्जी राम	06	
89.	विश्वनाथ	श. विवेक शम्भू	06	
90.	अनन्त गुरुग	श. प्रेम कुमार गुरुग	06	
91.	शुनी लाल	श. लाल राम	09	
92.	राज कुमर	लक्ष्मी राम	09	
93.	गीता शम्भू	श. सुन्दर वैश्या	05	
94.	प्रिया लता	श. राजन सिंह	05	
95.	सुभाष	श. प्रमोद चन्दा	01	
96.	जामा	श. दिपाकर	05	
97.	ज्योति शम्भू	श. हरिण भाषा	05	
98.	रचना देवी	श. अशोक कुमर	03	
99.	रेलमो	श. सुरजीत	03	
100.	निन्दू गुरुग	कली गुरुग	05	
101.	अशोक Bura/okh	श. जीत लक्ष्मी	05	
102.	बेकर	श. सुनी राम	09	
103.	देव राम	श. सुनी राम	09	

Be  
B  
D  
H  
K  
M  
N  
P  
R  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y  
Z

प्रधान तथा अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर

# कार्यवाही रजिस्टर (PROCEEDING BOOK)

(नियम 10 और 34 देखें)

ग्राम पंचायत ..... दे. ब्लाक ..... विकास खण्ड ..... दे. ब्लाक ..... जिला ..... कांग्रेस .....

तिथि, मास और वर्ष	उपस्थित सदस्यों का नाम	निष्पादित कार्य का विवरण	Signature of the Panches Present पंचों के हस्ताक्षर
104	सुनीता देवी	प/० निरंजन ०१	सुनीता देवी
105	सुनीता देवी	प/० अजय - चन्द ०१	सुनीता देवी
106	देवी देवी	प/० अजय लाल ०१	सुनीता देवी
107	विदिमा देवी	श. सुनीता ०१	सुनीता देवी
108	मिश्री देवी	प/० शंकर देव ०१	सुनीता देवी
109	कुलदीप	श. अजय लाल ०६	Kuldeep
110	साहित	श. दुर्गा ०२	Sahul
111	सुनीता देवी	प/० रमेश कुमार ०७	सुनीता देवी
112	रेखा देवी	श. अजय सिंह ०३	Rekha
113	जोगिन्द्र	श. अजय देव ०३	Jogind
114	चलिया राम	श. अजय ०२	Chaliya
115	नीला देवी गुला	श. अजय सिंह ०५	Neela
116	पगंड	श. अजय राम ०२	Pagand
117	अजय राधा अजय	श. अजय राधा ०५	Ajay
118	अजय राधा	श. अजय लाल ०५	Ajay
119	विन्दु सिंह	श. अजय सिंह ०१	Vindu
120	अभीष	श. अजय सिंह ०१	Abhis
121	अजय कुमार	श. अजय लाल ०३	Ajay
122	सतोष	श. अजय राम ०७	Satosh
123	विन्दु देवी	श. अजय लाल ०१	Vindu
124	अज्ञात	श. अजय कुमार ०३	Ajnat
125	प्रीतम चन्द	श. अजय लाल ०३	Preetam

Secretary  
Gram Panchayat Bhalala  
Dev. Block Charanishelaha  
Dist. Kangra (HP)

# कार्यवाही रजिस्टर (PROCEEDING BOOK)

( नियम 10 और 34 देखें )

119













ग्राम पंचायत ..... विकास खण्ड ..... जिला .....

तिथि, मास और वर्ष	उपस्थित सदस्यों का नाम	निष्पादित कार्य का विवरण	Signature of the Panches Present पंचों के हस्ताक्षर
126	राजति प्रकाश	श्री. कन्हैयालाल प्रकाश 05	
127	सुनील कुमार	श्री. प्रेम कुमार मुखर्जी 05	
128	गिरधर चन्द	श्री. जगन्नाथ 02	
129	सुभद्रा	श्री. राजा 05	
130	बलराम	श्री. सुनील लाल 09	
131	जोगिन्द्र कुमार	श्री. आरंभ राम 02	
132	सुनील कुमार	श्री. जोगिन्द्र लाल 02	
133	लंकी	श्री. कुन्डू राम 02	
134	रिशी	श्री. ल. प्रभोतम चन्द 02	
135	अजय कुमार	श्री. विनय लाल 02	
136	लक्ष्मी	श्री. विनय लाल 09	
137	राजेश्वर	श्री. ल. सुविभा राम 02	
138	संसार चन्द	श्री. विनय लाल 04	
139	विश्वेश्वर लाल	श्री. सुधीर 03	
140	सुविभा देवी	श्री. देव राज 02	
141	गणेश सिंह	श्री. सुनील चन्द 02	
142	राजो	श्री. गौड़ राम 03	
143	द्वारका	श्री. जयदेव 03	
144	वांका	श्री. ल. जगत राम 07	
145	संसार	श्री. दिनानाथ 05	
146	सुनील देवी	श्री. संसार कुमार	

# कार्यवाही रजिस्टर (PROCEEDING BOOK)

(नियम 10 और 34 देखें)

ग्राम पंचायत .....देवता..... विकास खण्ड.....धरमशला..... जिला.....कांगड़ा.....

तिथि, मास और वर्ष	उपस्थित सदस्यों का नाम	निष्पादित कार्य का विवरण	Signature of the Panches Present पंचों के हस्ताक्षर
147	ओम प्रकाश	श्री० <del>विश्वजी</del> शिवजी 03	
148	अजीव कुमार	श्री० विष्णु चन्द 02	
149	आकाश	श्री० अरुण 02	
150	निमी	श्री०॥ ओम रम 02	
151	इन्दरका देवी	श्री० प्रदीप सिंह 03	
152	अशोक	श्री० अमित राणा 05	
153	पुष्पा	श्री० जयेश चापा 05	
154	खोनाम	श्री० वृद्धि सिंह 01	
155	सधा चापा	श्री० लल बहादुर 05	
156	इंद्रा देवी	श्री० प्रकाश 03	
157	आरुण कुमार	श्री० सुधीर 01	
158	हरकाश कुमार	श्री० ल पुनी चन्द 09	
159	रत्न चन्द	श्री० धनी लाल 08	
160	विष्णु लाल	श्री० सुदेश मन्केरी राम 05	
161	अनुपम	श्री० प्रमोद 03	
162	मोहन कुमार	श्री० ल लक्ष्मी राम 02	
163	सुरकाश	श्री० अमर बहादुर 05	
164	निमी देवी	श्री० रत्न लाल 05	
165	अमित कुमार	श्री० प्रदीप 01	
166	गौरखु रम	श्री० प्रदीप राम 01	

Secretary  
Gram Panchayat Bharaila  
Dev. Block Dharamshala  
Distt. Kangra (HP)

# कार्यवाही रजिस्टर (PROCEEDING BOOK)

( नियम 10 और 34 देखें )

ग्राम पंचायत ..... धर्मशाला ..... विकास खण्ड ..... देहरादून ..... जिला ..... 120

तिथि, मास और वर्ष	उपस्थित सदस्यों का नाम	निष्पादित कार्य का विवरण	Signature of the Panches Present पंचों के हस्ताक्षर	
167	श्रीमती राम	श्री. अरुण राम	02	<u>Shankar</u>
168	हेम पत	श्री. लखन राम	02	<u>हेम पत</u>
169	आशुतोष कुमार	श्री. जोगीश्वर	01	<u>शुभ</u>
170	बैल देवी	श्री. ल. जगदीश	07	<u>बैल देवी</u>
171	कुलदीप कुमार	श्री. गोकुल	02	<u>कुलदीप</u>
172	मदन लाल	श्री. हरि चन्द	01	<u>मदन</u>
173	राज	श्री. सुरेश कुमार	01	<u>राज</u>
174	प्रमोद देवी	श्री. देव राज	01	<u>प्रमोद</u>
175	राम प्रसाद	श्री. गुरुदत्त	05	<u>Ram Prasad</u>
176	लता देवी	श्री. रतन प्रेम सिंह	03	<u>लता देवी</u>
177	नरिन्द्र सिंह	श्री. नरेश	03	<u>नरिन्द्र</u>
178	रोहित	श्री. देव राज	05	<u>Rohit</u>
179	कुलदीप देवी	श्री. चोकरा राम	06	<u>कुलदीप</u>
180	राजेश कुमार	श्री. राज लाल	04	<u>Rajesh</u>
181	गजो	श्री. प्रीतम 21-4	08	<u>गजो</u>
182	श्रीमती राम	श्री. लखन राम	07	<u>श्रीमती</u>
183	अनिल	श्री. हरि लाल	08	<u>Anil</u>
184	राज	श्री. रामेश कुमार	06	<u>Raj</u>
185	पाना राम	श्री. प्रभु	06	<u>पाना राम</u>
186	राजेश कुमार	श्री. विदिया राम	04	<u>राजेश</u>
187	सागर	श्री. गज राम	07	<u>Sagar</u>

# कार्यवाही रजिस्टर (PROCEEDING BOOK)

(नियम 10 और 34 देखें)

ग्राम पंचायत ..... दे. ब. ध. म. श. ला. ..... विकास खण्ड ..... दे. ब. ध. म. श. ला. ..... जिला ..... किंगरा .....

तिथि, मास और वर्ष	उपस्थित सदस्यों का नाम	निष्पादित कार्य का विवरण	Signature of Panches
188	अनिल कुमार	श्री. शिव कुमार 05	<i>[Signature]</i>
189	नरेश कुमार	श्री. लक्ष्मी कुमार 05	<i>[Signature]</i>
190	रजतपाल	श्री. हरि लाल 03	<i>[Signature]</i>
191	कमला देवी	श्री. राम लाल 00	<i>[Signature]</i>
192	कमला	श्री. लाल लाल 03	<i>[Signature]</i>
193	पुनी चन्प	श्री. हरि राम 09	<i>[Signature]</i>
194	अजय कुमार	श्री. हरि सिंह 03	<i>[Signature]</i>
195	मोहित सिंह	श्री. हरि लाल 03	<i>[Signature]</i>
196	राज	श्री. पुनम राम 08	<i>[Signature]</i>
197	अशोक कुमार	श्री. अगत राम 03	<i>[Signature]</i>
198	अशोक कुमार	श्री. लाल राम 02	<i>[Signature]</i>
199	विजय कुमार	श्री. हरि लाल 05	<i>[Signature]</i>
200	सुरेन्द्र कुमार	श्री. गोरख राम 06	<i>[Signature]</i>
201	राज कुमार	श्री. सुभक्त 05	<i>[Signature]</i>
202	रजत कुमार	श्री. जैसी राम 05	<i>[Signature]</i>
203	आमित कुमार	श्री. अलका राम 07	<i>[Signature]</i>
204	बाहुल कुमार	श्री. देव राज 05	<i>[Signature]</i>

ग्राम पंचायत की उपस्थिति 204 पूर्ण है  
 पूर्ण है / ग्राम पंचायत की उपस्थिति पर 205 की  
 कार्यवाही पर 205 की कार्यवाही पर 205 की

Secretary  
 Gram Panchayat Bhalala  
 Dev. Block Dharamshala  
 Dist. Kangra (HP)

**DIVERSION OF 0.30 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF SEWERAGE  
TREATMENT PLANT AT NADDI IN DHARAMSHALA, DISTRICT KANGRA, (H.P.)**

FILE NO. : FP/HP/Others/51314/2020  
DATE OF PROPOSAL :

**UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 11**

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that no felling of trees will be done during the execution of Scheme.

Place: Dharamshala  
Dated: 31-10-2023

  
Executive Engineer  
Jal Shakti Vibhag,  
Dharamshala

Countersigned by :-

  
Divisional Forest Officer  
Dharamshala Forest Division  
Dharamshala

**DIVERSION OF 0.30 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF SEWERAGE TREATMENT PLANT AT NADDI IN DHARAMSHALA, DISTRICT KANGRA, (H.P.)**

FILE NO. : FP/HP/Others/51314/2020  
DATE OF PROPOSAL :

**UNDERTAKING AS PER CLAUSE - 12**

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

**It is hereby undertaken that no damage / harm will be done to the vegetation and animals in the proposed area.**

Place: Dharamshala  
Dated: 31-10-2023

  
Executive Engineer  
Jal Shakti Vibhag,  
Dharamshala

Countersigned by :-

  
Divisional Forest Officer  
Dharamshala Forest Division  
Forest Division  
Dharamshala

**DIVERSION OF 0.30 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF SEWERAGE  
TREATMENT PLANT AT NADDI IN DHARAMSHALA, DISTRICT KANGRA, (H.P.)**

FILE NO. : FP/HP/Others/51314/2020  
DATE OF PROPOSAL :

**UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 13**

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

It is hereby submitted that all the payments to be deposited under NPV and CA etc. (Rs. 1,68,676/- Cost of CA, Rs. 3,01,563/- Cost of NPV and Rs. 8,434/- Contingency 5% on CA, Total Rs. 4,78,673/-) have been deposited through E-Portal (<https://parivesh-nic-in>) in Ad-hoc CAMPA Fund on 01.11.2022.

Place: Dharamshala  
Dated: 31-10-2023

  
Executive Engineer  
Jal Shakti Vibhag,  
Dharamshala

Countersigned by :-

  
Divisional Forest Officer  
Dharamshala Forest Division  
Dharamshala

**DIVERSION OF 0.30 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF SEWERAGE TREATMENT PLANT AT NADDI IN DHARAMSHALA, DISTRICT KANGRA, (H.P.)**

FILE NO. : FP/HP/Others/51314/2020

DATE OF PROPOSAL :

**UNDERTAKING AS PER CLAUSE - 14**

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

**It is hereby undertaken that approval will be taken as per Provisions of Environment (Protection) Act, 1986, if applicable.**

Place: Dharamshala

Dated: 31-10-2023

  
Executive Engineer  
Jal Shakti Vibhag,  
Dharamshala

Countersigned by :-

  
Divisional Forest Officer  
Dharamshala Forest Division  
Dharamshala

**DIVERSION OF 0.30 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF SEWERAGE TREATMENT PLANT AT NADDI IN DHARAMSHALA, DISTRICT KANGRA, (H.P.)**

FILE NO. : FP/HP/Others/51314/2020  
DATE OF PROPOSAL :

**UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 15**

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that the Layout Plan will not be changed without prior Approval / Permission of the Central Government.

Place: Dharamshala  
Dated: 31-10-2023

  
Executive Engineer  
Jal Shakti Vibhag,  
Dharamshala

Countersigned by :-

  
Divisional Forest Officer  
Dharamshala Forest Division  
Forest Division  
Dharamshala  
Dharamshala

**DIVERSION OF 0.30 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF SEWERAGE TREATMENT PLANT AT NADDI IN DHARAMSHALA, DISTRICT KANGRA, (H.P.)**

FILE NO. : FP/HP/Others/51314/2020  
DATE OF PROPOSAL :

**UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 16**

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that no labour camps will be established / installed on the forest land.

Place: Dharamshala  
Dated: 31-10-2023

*Ob*  
Executive Engineer  
Jal Shakti Vibhag,  
Dharamshala

Countersigned by :-

  
Divisional Forest Officer  
Dharamshala  
Divisional Forest Officer  
Forest Division  
Dharamshala

**DIVERSION OF 0.30 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF SEWERAGE TREATMENT PLANT AT NADDI IN DHARAMSHALA, DISTRICT KANGRA, (H.P.)**

FILE NO. : FP/HP/Others/51314/2020  
DATE OF PROPOSAL :

**UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 17**

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

**It is hereby undertaken that fuelwood from Forest Corporation or any other legal source, especially Alternate fuel will be provided to the labour.**

Place: Dharamshala  
Dated: 31-10-2023

  
Executive Engineer  
Jal Shakti Vibhag,  
Dharamshala

Countersigned by :-

  
Divisional Forest Officer  
Dharamshala Forest Division  
Dharamshala

**DIVERSION OF 0.30 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF SEWERAGE TREATMENT PLANT AT NADDI IN DHARAMSHALA, DISTRICT KANGRA, (H.P.)**

FILE NO. : FP/HP/Others/51314/2020  
DATE OF PROPOSAL :

**UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 18**

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that RCC Pillars will be installed at the boundary of diverted forest land under the supervision of Forest Department with Forward / Backward bearing at the cost of User Agency itself.

Place: Dharamshala  
Dated: 31-10-2023

  
Executive Engineer  
Jal Shakti Vibhag,  
Dharamshala

Countersigned by :-

  
Divisional Forest Officer  
Dharamshala Forest Division  
Dharamshala

**DIVERSION OF 0.30 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF SEWERAGE TREATMENT PLANT AT NADDI IN DHARAMSHALA, DISTRICT KANGRA, (H.P.)**

FILE NO. : FP/HP/Others/51314/2020  
DATE OF PROPOSAL :

**UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 19**

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

**It is hereby submitted that no alternate road will be constructed for carriage of material in the forest land during the execution of the proposal.**

Place: Dharamshala  
Dated: 31-10-2023

  
Executive Engineer  
Jal Shakti Vibhag,  
Dharamshala

Countersigned by :-

  
Divisional Forest Officer  
Dharamshala Forest Division  
Dharamshala  
Divisional Forest Officer  
Dharamshala  
Forest Division  
Dharamshala

**DIVERSION OF 0.30 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF SEWERAGE TREATMENT PLANT AT NADDI IN DHARAMSHALA, DISTRICT KANGRA, (H.P.)**

FILE NO. : FP/HP/Others/51314/2020  
DATE OF PROPOSAL :

**UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 20**

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

**It is hereby submitted that the Forest Land will be used only for the purpose specified in the proposal and no other activities will be undertaken in the diverted forest land.**

Place: Dharamshala  
Dated: 31-10-2023

  
Executive Engineer  
Jal Shakti Vibhag,  
Dharamshala

Countersigned by :-

  
Divisional Forest Officer  
Dharamshala Forest Division  
Dharamshala

**DIVERSION OF 0.30 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF SEWERAGE TREATMENT PLANT AT NADDI IN DHARAMSHALA, DISTRICT KANGRA, (H.P.)**

FILE NO. : FP/HP/Others/51314/2020  
DATE OF PROPOSAL :

**UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 21**

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

**It is hereby undertaken that the diverted forest land will not be transferred to any other Agency / Department or Person without prior Approval of Central Government.**

Place: Dharamshala  
Dated: 31-10-2023

*Ob*  
Executive Engineer  
Jal Shakti Vibhag,  
Dharamshala

Countersigned by :-

*S*  
Divisional Forest Officer  
Dharamshala Forest Division  
Dharamshala

**DIVERSION OF 0.30 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF SEWERAGE TREATMENT PLANT AT NADDI IN DHARAMSHALA, DISTRICT KANGRA, (H.P.)**

FILE NO. : FP/HP/Others/51314/2020

DATE OF PROPOSAL :

**UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 22**

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that we will abide by all the conditions imposed by Ministry of Environment, Forest & Climate Change from time to time for the protection and development of Forest and Wildlife.

Place: Dharamshala

Dated: 31-10-2023

  
Executive Engineer  
Jal Shakti Vibhag,  
Dharamshala

Countersigned by :-

  
Divisional Forest Officer  
Dharamshala Forest Division  
Dharamshala

**DIVERSION OF 0.30 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF SEWERAGE TREATMENT PLANT AT NADDI IN DHARAMSHALA, DISTRICT KANGRA, (H.P.)**

FILE NO. : FP/HP/Others/51314/2020  
DATE OF PROPOSAL :

**UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 23**

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

**It is hereby undertaken that muck will be disposed-off within the diverted land and no muck will roll down the hillside or disposed alongside the proposed area.**

Place: Dharamshala  
Dated: 31-10-2023

  
Executive Engineer  
Jal Shakti Vibhag,  
Dharamshala

Countersigned by :-

  
Divisional Forest Officer  
Dharamshala Forest Division  
Dharamshala

**DIVERSION OF 0.30 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF SEWERAGE TREATMENT PLANT AT NADDI IN DHARAMSHALA, DISTRICT KANGRA, (H.P.)**

FILE NO. : FP/HP/Others/51314/2020  
DATE OF PROPOSAL :

**UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 24**

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

**It is hereby undertaken that if any other provisions of related Act / Article / Rule / Court Order / Instruction are applicable to this proposal, the necessary NOC / Permission will be taken by the User Agency.**

Place: Dharamshala  
Dated: 21-10-2023

  
Executive Engineer  
Jal Shakti Vibhag,  
Dharamshala

Countersigned by :-

  
Divisional Forest Officer,  
Dharamshala Forest Division  
Dharamshala

**DIVERSION OF 0.30 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF SEWERAGE TREATMENT PLANT AT NADDI IN DHARAMSHALA, DISTRICT KANGRA, (H.P.)**

FILE NO. : FP/HP/Others/51314/2020  
DATE OF PROPOSAL :

**UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 25**

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that we will abide by all the conditions imposed in the "In-Principle Approval" accorded for the construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

Place: Dharamshala  
Dated: 31-10-2023

  
Executive Engineer  
Jal Shakti Vibhag,  
Dharamshala

Countersigned by :-

  
Divisional Forest Officer  
Dharamshala Forest Division  
Dharamshala

**DIVERSION OF 0.30 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF SEWERAGE TREATMENT PLANT AT NADDI IN DHARAMSHALA, DISTRICT KANGRA, (H.P.)**

FILE NO. : FP/HP/Others/51314/2020  
DATE OF PROPOSAL :

**UNDERTAKING AS PER CLAUSE – 26**

It is to certify that I, Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala Division, District Kangra (HP) - 176215, have applied for diversion of 0.30 ha of forest land for Construction of Sewerage Treatment Plant at Naddi in Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that the Compliance report will be uploaded online on (<http://parivesh.nic/in/>).

Place: Dharamshala  
Dated: 31-10-2023

  
Executive Engineer  
Jal Shakti Vibhag,  
Dharamshala

Countersigned by :-

  
Divisional Forest Officer  
Dharamshala Forest Division  
Dharamshala